जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर

क्रमांकःजीवि/परीक्षा–2/गोपनीय/2015/3620 दिनांक : 02.08.2015

//कार्यालयीन आदेश//

प्रायः देखने में आ रहा है कि छात्र अपने परीक्षा परिणाम सुधरवाने के लिये विश्वविद्यालय में एक, दो, तीन व पॉच वर्ष के बाद आते हैं। विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक – 05 के तहत उत्तरपुस्तिकायें तथा परीक्षा से संबंधित रिकार्ड छः माह निकलने के पश्चात नष्ट कर दिया जाता है।

अतः समस्त महाविद्यालय एवं छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के तीन माह के अन्दर अपना परीक्षा परिणाम सुधरवालें उसके पश्चात किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। ऐसा न करने पर इसकी जिम्मेवारी छात्र/छात्राओं एवम महाविद्यालय की होगी।

पूर्व से भी जो रूके हुये परीक्षा परिणाम हैं उनका भी निराकरण 30.08.2015 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाये इसके पश्चात उन पर भी विचार किया जाना संभव नहीं होगा और इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित महाविद्यालय एवं छात्र/छात्राओं की होगी। इस संबंध में पूर्व में भी पत्र क्रमांक जीवि/परीक्षा–2/गोपनीय/2014/1582 दिनांक 30.09.2014 द्वारा सूचित किया गया था।

आदेश का पालन सुनिश्चित किया जावे।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य, सम्बंधित महाविद्यालय ----------------------।
1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।,
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, क्षेत्रिय कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर।
4. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।
5. अधीक्षक, (गोपनीय/परीक्षा) जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।

उप–कुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय)